

**\*\* सारे अनुच्छेद एक साथ \*\***

# **\*\* सारे अनुच्छेद एक साथ \*\***

## **!--Indian Constitution--:**

**अनुच्छेद 1 :-** संघ का नाम और राज्य क्षेत्र

**अनुच्छेद 2 :-** नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना

**अनुच्छेद 3 :-** राज्य का निर्माण तथा सीमाओं या नामों में परिवर्तन

**अनुच्छेद 4 :-** पहली अनुसूचित व चौथी अनुसूची के संशोधन तथा दो और तीन के अधीन बनाई गई विधियां

**अनुच्छेद 5 :-** संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता

**अनुच्छेद 6 :-** भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता

**अनुच्छेद 7 :-** पाकिस्तान जाने वालों को नागरिकता

**अनुच्छेद 8 :-** भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों का नागरिकता

**अनुच्छेद 9 :-** विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर नागरिकता का ना होना

**अनुच्छेद 10 :-** नागरिकता के अधिकारों का बना रहना

## ExamSector / GkNotesPDF

**अनुच्छेद 11 :-** संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनियमन

**अनुच्छेद 12 :-** राज्य की परिभाषा

**अनुच्छेद 13 :-** मूल अधिकारों को असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियां

**अनुच्छेद 14 :-** विधि के समक्ष समानता

**अनुच्छेद 15 :-** धर्म जाति लिंग पर भेद का प्रतिशोध

**अनुच्छेद 16 :-** लोक नियोजन में अवसर की समानता

**अनुच्छेद 17 :-** अस्पृश्यता का अंत

**अनुच्छेद 18 :-** उपाधीयों का अंत

**अनुच्छेद 19 :-** वाक् की स्वतंत्रता

**अनुच्छेद 20 :-** अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण

**अनुच्छेद 21 :-** प्राण और दैहिक स्वतंत्रता

**अनुच्छेद 21 क :-** 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार

**अनुच्छेद 22 :-** कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण

**अनुच्छेद 23 :-** मानव के दुर्व्यापार और बाल आश्रम

**अनुच्छेद 24 :-** कारखानों में बालक का नियोजन का प्रतिशत

**अनुच्छेद 25 :-** धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता

**अनुच्छेद 26 :-** धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता

---

---

**\*\* सारे अनुच्छेद एक साथ \*\***

**अनुच्छेद 29 :-** अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण

**अनुच्छेद 30 :-** शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार

**अनुच्छेद 32 :-** अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार

**अनुच्छेद 36 :-** परिभाषा

**अनुच्छेद 40 :-** ग्राम पंचायतों का संगठन

**अनुच्छेद 48 :-** कृषि और पशुपालन संगठन

**अनुच्छेद 48 क :-** पर्यावरण वन तथा वन्य जीवों की रक्षा

**अनुच्छेद 49:-** राष्ट्रीय स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण

**अनुच्छेद. 50 :-** कार्यपालिका से न्यायपालिका का प्रथक्करण

**अनुच्छेद 51 :-** अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा

**अनुच्छेद 51क :-** मूल कर्तव्य

**अनुच्छेद 52 :-** भारत का राष्ट्रपति

**अनुच्छेद 53 :-** संघ की कार्यपालिका शक्ति

**अनुच्छेद 54 :-** राष्ट्रपति का निर्वाचन

**अनुच्छेद 55 :-** राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीती

**अनुच्छेद 56 :-** राष्ट्रपति की पदावधि

अनुच्छेद 57 :- पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता

अनुच्छेद 58 :- राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए आहर्ताए

अनुच्छेद 59 :- राष्ट्रपति पद के लिए शर्ते

अनुच्छेद 60 :- राष्ट्रपति की शपथ

अनुच्छेद 61 :- राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया

अनुच्छेद 62 :- राष्ट्रपति पद पर व्यक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय और रीतियां

अनुच्छेद 63 :- भारत का उपराष्ट्रपति

अनुच्छेद 64 :- उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना

अनुच्छेद 65 :- राष्ट्रपति के पद की रिक्त पर उप राष्ट्रपति के कार्य

अनुच्छेद 66 :- उप-राष्ट्रपति का निर्वाचन

अनुच्छेद 67 :- उपराष्ट्रपति की पदावधि

अनुच्छेद 68 :- उप राष्ट्रपति के पद की रिक्त पद भरने के लिए निर्वाचन

अनुच्छेद 69 :- उप राष्ट्रपति द्वारा शपथ

अनुच्छेद 70 :- अन्य आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन

अनुच्छेद 71. :- राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विषय

अनुच्छेद 72 :- क्षमादान की शक्ति

---

---

**\*\* सारे अनुच्छेद एक साथ \*\***

**अनुच्छेद 73 :-** संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार

**अनुच्छेद 74 :-** राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद

**अनुच्छेद 75 :-** मंत्रियों के बारे में उपबंध

**अनुच्छेद 76 :-** भारत का महान्यायवादी

**अनुच्छेद 77 :-** भारत सरकार के कार्य का संचालन

**अनुच्छेद 78 :-** राष्ट्रपति को जानकारी देने के प्रधानमंत्री के कर्तव्य

**अनुच्छेद 79 :-** संसद का गठन

**अनुच्छेद 80 :-** राज्य सभा की संरचना

**अनुच्छेद 81 :-** लोकसभा की संरचना

**अनुच्छेद 83 :-** संसद के सदनों की अवधि

**अनुच्छेद 84 :-** संसद के सदस्यों के लिए अहर्ता

**अनुच्छेद 85 :-** संसद का सत्र सत्रावसान और विघटन

**अनुच्छेद 87 :-** राष्ट्रपति का विशेष अभी भाषण

**अनुच्छेद 88 :-** सदनों के बारे में मंत्रियों और महानयायवादी अधिकार

**अनुच्छेद 89 :-** राज्यसभा का सभापति और उपसभापति

**अनुच्छेद 90 :-** उपसभापति का पद रिक्त होना या पद हटाया जाना

**अनुच्छेद 91 :-** सभापति के कर्तव्यों का पालन और शक्ति

## ExamSector / GkNotesPDF

**अनुच्छेद 92 :-** सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन ना होना

**अनुच्छेद 93 :-** लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष

**अनुचित 94 :-** अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना

**अनुच्छेद 95 :-** अध्यक्ष में कर्तव्य एवं शक्तियां

**अनुच्छेद 96 :-** अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प हो तब उसका पीठासीन ना होना

**अनुच्छेद 97 :-** सभापति उपसभापति तथा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते

**अनुच्छेद 98 :-** संसद का सविचालय

**अनुच्छेद 99 :-** सदस्य द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान

**अनुच्छेद 100 -** संसाधनों में मतदान रिक्तियां के होते हुए भी सदनों के कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति

**अनुच्छेद 108 :-** कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक

**अनुच्छेद 109 :-** धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया

**अनुच्छेद 110 :-** धन विधायक की परिभाषा

**अनुच्छेद 111 :-** विधेयकों पर अनुमति

**अनुच्छेद 112 :-** वार्षिक वित्तीय विवरण

**\*\* सारे अनुच्छेद एक साथ \*\***

**अनुच्छेद 118 :-** प्रक्रिया के नियम

**अनुच्छेद 120 :-** संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा

**अनुच्छेद 123 :-** संसद विश्रांति काल में राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति

**अनुच्छेद 124 :-** उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन

**अनुच्छेद 125 :-** न्यायाधीशों का वेतन

**अनुच्छेद 126 :-** कार्य कार्य मुख्य न्याय मूर्ति की नियुक्ति

**अनुच्छेद 127 :-** तदर्थ न्यायमूर्तियों की नियुक्ति

**अनुच्छेद 128 :-** सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति

**अनुच्छेद 129 :-** उच्चतम न्यायालय का अभिलेख नयायालय होना

**अनुच्छेद 130 :-** उच्चतम न्यायालय का स्थान

**अनुच्छेद 131 :-** उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता

**अनुच्छेद 137 :-** निर्णय एवं आदेशों का पुनर्विलोकन

**अनुच्छेद 143 :-** उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति

**अनुच्छेद 144 :-** सिविल एवं न्यायिक पदाधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता

**अनुच्छेद 148 :-** भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक

**अनुच्छेद 149 :-** नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य शक्तिया

अनुच्छेद 150 :- संघ के राज्यों के लेखन का प्रारूप

अनुच्छेद 153 :- राज्यों के राज्यपाल

अनुच्छेद 154 :- राज्य की कार्यपालिका शक्ति

अनुच्छेद 155 :- राज्यपाल की नियुक्ति

अनुच्छेद 156 :- राज्यपाल की पदावधि

अनुच्छेद 157 :- राज्यपाल नियुक्त होने की अर्हताएँ

अनुच्छेद 158 :- राज्यपाल के पद के लिए शर्तें

अनुच्छेद 159 :- राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान

अनुच्छेद 163 :- राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद

अनुच्छेद 164 :- मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध

अनुच्छेद 165 :- राज्य का महाधिवक्ता

अनुच्छेद 166 :- राज्य सरकार का संचालन

अनुच्छेद 167 :- राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य

अनुच्छेद 168 :- राज्य के विधान मंडल का गठन

अनुच्छेद 170 :- विधानसभाओं की संरचना

अनुच्छेद 171 :- विधान परिषद की संरचना

अनुच्छेद 172 :- राज्यों के विधानमंडल की अवधि



**\*\* सारे अनुच्छेद एक साथ \*\***

**अनुच्छेद 176 :-** राज्यपाल का विशेष अभिभाषण

**अनुच्छेद 177 :-** सदनों के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार

**अनुच्छेद 178 :-** विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष

**अनुच्छेद 179 :-** अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना या पद से हटाया जाना

**अनुच्छेद 180 :-** अध्यक्ष के पदों के कार्य व शक्ति

**अनुच्छेद 181 :-** अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प पारित होने पर उसका पिठासिन ना होना

**अनुच्छेद 182 :-** विधान परिषद का सभापति और उपसभापति

**अनुच्छेद 183 :-** सभापति और उपासभापति का पद रिक्त होना पद त्याग या पद से हटाया जाना

**अनुच्छेद 184 :-** सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन व शक्ति

**अनुच्छेद 185 :-** संभापति उपसभापति को पद से हटाए जाने का संकल्प विचाराधीन होने पर उसका पीठासीन ना होना

**अनुच्छेद 186 :-** अध्यक्ष उपाध्यक्ष सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते

**अनुच्छेद 187 :-** राज्य के विधान मंडल का सविचाल.

**अनुच्छेद 188 :-** सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान

**अनुच्छेद 189 :-** सदनों में मतदान रिक्तियां होते हुए भी साधनों का कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति

**अनुच्छेद 199 :-** धन विदेश की परिभाषा

**अनुच्छेद 200 :-** विधायकों पर अनुमति

**अनुच्छेद 202 :-** वार्षिक वित्तीय विवरण

**अनुच्छेद 213 :-** विधानमंडल में अध्यादेश सत्यापित करने के राज्यपाल की शक्ति

**अनुच्छेद 214 :-** राज्यों के लिए उच्च न्यायालय

**अनुच्छेद 215 :-** उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना

**अनुच्छेद 216 :-** उच्च न्यायालय का गठन

**अनुच्छेद 217 :-** उच्च न्यायालय न्यायाधीश की नियुक्ति पद्धति शर्तें

**अनुच्छेद 221 :-** न्यायाधीशों का वेतन

**अनुच्छेद 222 :-** एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में न्यायाधीशों का अंतरण

**अनुच्छेद 223 :-** कार्यकारी मुख्य न्याय मूर्ति के नियुक्ति

**अनुच्छेद 224 :-** अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति

**अनुच्छेद 226 :-** कुछ रिट निकालने के लिए उच्च न्यायालय की शक्ति

**अनुच्छेद 231 :-** दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना

**\*\* सारे अनुच्छेद एक साथ \*\***

**अनुच्छेद 233 :-** जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति

**अनुच्छेद 241 :-** संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च-न्यायालय

**अनुच्छेद 243 :-** पंचायत नगर पालिकाएं एवं सहकारी समितियां

**अनुच्छेद 244 :-** अनुसूचित क्षेत्रों व जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन

**अनुच्छेद 248 :-** अवशिष्ट विधायी शक्तियां

**अनुच्छेद 252 :-** दो या अधिक राज्य के लिए सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति

**अनुच्छेद 254 :-** संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के विधान मंडल द्वारा बनाए गए विधियों में असंगति

**अनुच्छेद 256 :-** राज्यों की और संघ की बाध्यता

**अनुच्छेद 257 :-** कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण

**अनुच्छेद 262 :-** अंतर्राज्यिक नदियों या नदी दूनों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय

**अनुच्छेद 263 :-** अंतर्राज्यीय विकास परिषद का गठन

**अनुच्छेद 266 :-** संचित निधि

**अनुच्छेद 267 :-** आकस्मिकता निधि

**अनुच्छेद 269 :-** संघ द्वारा उद्धृत और संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर

**अनुच्छेद 270 :-** संघ द्वारा इकट्ठे किए कर संघ और राज्यों के बीच वितरित किए जाने वाले कर

**अनुच्छेद 280 :-** वित्त आयोग

**अनुच्छेद 281 :-** वित्त आयोग की सिफारिशें

**अनुच्छेद 292 :-** भारत सरकार द्वारा उधार लेना

**अनुच्छेद 293 :-** राज्य द्वारा उधार लेना

**अनुच्छेद 300 क :-** संपत्ति का अधिकार

**अनुच्छेद 301 :-** व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता

**अनुच्छेद 309 :-** राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तें

**अनुच्छेद 310 :-** संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि

**अनुच्छेद 313 :-** संक्रमण कालीन उपबंध

**अनुच्छेद 315 :-** संघ राज्य के लिए लोक सेवा आयोग

**अनुच्छेद 316 :-** सदस्यों की नियुक्ति एवं पदावधि

**अनुच्छेद 317 :-** लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जाना या निलंबित किया जाना

**अनुच्छेद 320 :-** लोकसेवा आयोग के कृत्य

**अनुच्छेद 323 क :-** प्रशासनिक अधिकरण

---

---

**\*\* सारे अनुच्छेद एक साथ \*\***

**अनुच्छेद 323 ख :-** अन्य विषयों के लिए अधिकरण

**अनुच्छेद 324 :-** निर्वाचनो के अधिक्षण निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना

**अनुच्छेद 329 :-** निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्णन

**अनुच्छेद 330 :-** लोक सभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिये स्थानों का आरणण

**अनुच्छेद 331 :-** लोक सभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व

**अनुच्छेद 332 :-** राज्य के विधान सभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण

**अनुच्छेद 333 :-** राज्य की विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व

**अनुच्छेद 343 :-** संघ की परिभाषा

**अनुच्छेद 344 :-** राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति

**अनुच्छेद 350 क :-** प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं

**अनुच्छेद 351 :-** हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश

**अनुच्छेद 352 :-** आपात की उदघोषणा का प्रभाव

**अनुच्छेद 356 :-** राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध

**अनुच्छेद 360 :-** वित्तीय आपात के बारे में उपबंध

**अनुच्छेद 368 :-** सविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसकी प्रक्रिया

**अनुच्छेद 377 :-** भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में उपबंध

**अनुच्छेद 378 :-** लोक सेवा आयोग के बारे:

